अनवान शारदा कंवर v/s TDR समदड़ी
मुकदमा नंबर 138 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
05.06.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी के वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थिनी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिनी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थिनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम राखी तहसील समदडी के खसरा संख्या 3151/520 रकबा 1.0063 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस़ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थिनी मौके पर अदा करेंगे, आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:50:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 1227 दिनांक : 05.06.2025

प्रार्थिनी बनाम विप्रार्थीगण

शारदा कंवर पत्नी बलवन्तसिंह

राजस्थान सरकार जरिये
भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 138 / 2024 दिनांक :– 05.06.25

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम राखी तहसील समदडी की खसरा संख्या 3151 / 520 रकबा 1.0063 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 / –प्रार्थिनी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 1228 दिनांक : 05.06.2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी राखी तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थिनी शारदा कंवर पत्नी बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी राखी तहसील समदडी जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:50:12 IST
Reason: SelfAttested